मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पंचा.राज./एफ-1-/पंचायत/2022/7333 भोपाल, दिनांक 26/05/2022

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत – समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना।

विषयांतर्गत लेख है कि पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने एवं सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नानुसार पंचायत पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

क्र	निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन
1	ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। **पुरस्कार राशि रूपये 5.00 लाख**
2	सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर **पुरस्कार राशि रूपये 7.00 लाख**
3	ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। **पुरस्कार राशि रूपये 7.00 लाख**
4	ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं। **पुरस्कार राशि रूपये 12.00 लाख**
5	पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुए हैं। **पुरस्कार राशि रूपये 15.00 लाख**

वित्तीय प्रावधान

इस योजना में आने वाले व्यय लेखा शीर्ष (मांग संख्या – 74, मुख्य शीर्ष – 2515 उपशीर्ष – 196/197/198 योजना क्रमांक -8391- त्रि-स्तरीय पुरस्कार (आयोजनेत्तर) उद्देश्य शीर्ष – 42, वितरण शीर्ष -009) से विकलनीय होगा।

सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों के लिये पुरस्कार योजना

विकास एक सतत् प्रक्रिया है। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के मापदण्ड तय किये गये है। इन विकास लक्ष्यों की पूर्ति करने वाली पंचायतों को 4 श्रेणियों में पुरूस्कार दिये जायेंगे।

महिला एवं बाल हितैषी पंचायत –

- महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की गतिविधियों को प्रोत्साहन।

- बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी संसाधनों से युक्त ऑंगनवाडियॉं।
- कुपोषण से मुक्ति।
- बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए बनायी गयी योजनाओं का लाभ दिलाना।

<u>जल परिपूर्ण पंचायत</u> –

- जल जीवन मिशन का अधिकतम उपयोग।
- जनभागीदारी से जल संरक्षण और संवर्द्धन।
- अमृत सरोवरों का निर्माण।

स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित पंचायत –

- शत-प्रतिशत घरों में शौचालय की उपलब्धता।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु संचालित योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन।
- पंचायतों को उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का अधिकतम उपयोग।
- पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के उपायों पर कार्य।
- टीकाकरण।
- नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
- बीमारियों की रोकथाम।
- नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी उपाय।
- आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को।

आर्थिक रूप से आत्म निर्भर पंचायत –

- नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कराधान की मजबूत व्यवस्था।
- जन सहयोग और कर संग्रहण से ग्रामीणों को सुविधा और सेवा प्रदान करना।
- स्व-सहायता समूहों का कौशल उन्नयन एवं बैंक लिंकेज।
- मनरेगा अंतर्गत स्थायी आजीविका।
- हर पात्र परिवार को आवास, राशन, गैस आदि की सुविधा।

प्रत्येक वर्ग के लिए 3 पुरस्कार प्रदान किया जायेगा -

प्रथम पुरस्कार – रूपये 50.00 लाख
द्वितीय पुरस्कार – रूपये 25.00 लाख
तृतीय पुरस्कार – रूपये 15.00 लाख

<u>वित्तीय प्रावधान</u>

पुरस्कार की राशि 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना अंतर्गत शीर्ष 9611 के अंतर्गत विकलनीय होगी।

पुरस्कार राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

उपरोक्त श्रेणी के पुरस्कारों संबंधी प्रोत्साहित किये जाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे।

(उमाकांत उमराव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

AIO/D/Letter

क्रमांक/पंचा.राज./एफ-1-/पंचायत/2022/7334 भोपाल, दिनांक 26./05/2022

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त, संभाग – समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत – समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग